प्रशिक्षण संस्थानों को सहायता (एटीआई) योजना

विवरण:

• यह सहायता एमएसएमई मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण संस्थानों, जैसे एनआई-एमएसएमई, केवीआईसी, कॉयर बोर्ड, टूल रूम, एनएसआईसी और एमजीआईआरआई को पूंजी अनुदान के रूप में बुनियादी ढांचे के सृजन और सुदृढ़ीकरण तथा उद्यमिता विकास और कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदान की जाती है। राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के स्वामित्व और नियंत्रण वाले मौजूदा राज्य स्तरीय ईडीआई को भी उनके प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे के सृजन या सुदृढ़ीकरण/विस्तार के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

सहायता की प्रकृति:

• हेतु वास्तविक राशि से अधिक नहीं होगी। राज्य स्तरीय ईडीआई को दी जाने वाली अधिकतम सहायता राशि प्रत्येक मामले में 3.00 करोड़ रुपये तक सीमित होगी। कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए सहायता निर्धारित दरों के अनुसार प्रदान की जाएगी।

आवेदन कैसे करें:

• बुनियादी ढांचे के निर्माण या सुदृढ़ीकरण के लिए सहायता हेतु आवेदन करने के इच्छुक संगठन अपने आवेदन निदेशक/उप सचिव (ईडीआई), सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, उद्योग भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110011 को भेज सकते हैं।

किससे संपर्क करें:

उप सचिव (ईडीआई), एमएसएमई मंत्रालय